

डिस्क्लेमर

अंतरिम आदेश संख्या 40/2022-23 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।



भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (एसवीपीआईए), अहमदाबाद (एएमडी) के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (01.04.2021 – 31.03.2026) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के मामले में/

**IN THE MATTER OF
DETERMINATION OF AERONAUTICAL TARIFF FOR
SARDAR VALLABHBHAI PATEL INTERNATIONAL AIRPORT (SVPIA)
AHMEDABAD (AMD)
FOR THE THIRD CONTROL PERIOD
(01.04.2021 - 31.03.2026)**

जारी करने की तारीख : 17.01.2023

Date of Issue: 17.01.2023

ऐरा भवन /AERA Building
प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स / Administrative Complex
सफदरजंग हवाईअड्डा /Safdarjung Airport
नई दिल्ली /New Delhi – 110003

अध्याय-16 प्राधिकरण के निर्णयों का सार

तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के संबंध में प्राधिकरण के निर्णयों का सार नीचे दिया गया है:

अध्याय 4 : वित्त वर्ष 2017 से वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी) तक की द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए एएआई का टू-अप।

- 4.15.1 तालिका 9 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से पूर्व) के लिए यात्री यातायात और एटीएम के टू-अप को मानना।
- 4.15.2 तालिका 15 के अनुसार एएआई के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से पूर्व) के लिए आरएबी के टू-अप को मानना।
- 4.15.3 एआईएल के लिए पैरा 4.5.20 के अनुसार 07 नवम्बर, 2020 को माने गए 301.77 करोड़ रूपए के प्रारंभिक आरएबी को मानना।
- 4.15.4 तालिका 23 के अनुसार एएआई के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से पूर्व) के लिए मूल्यहास के टू-अप को मानना।
- 4.15.5 तालिका 26 के अनुसार एएआई के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से पूर्व) के लिए एफआरओआर के टू-अप को मानना।
- 4.15.6 एएआई के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से पूर्व) के टू-अप के लिए भूमि की लागत पर प्रतिलाभ को नहीं मानना।
- 4.15.7 तालिका 34 के अनुसार एएआई के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से पूर्व) के लिए वैमानिक प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च के टू-अप को मानना।
- 4.15.8 तालिका 40 के अनुसार एएआई के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से पूर्व) के लिए गैर-वैमानिक राजस्व के टू-अप को मानना।
- 4.15.9 तालिका 44 के अनुसार एएआई के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से पूर्व) के लिए वैमानिक राजस्व के टू-अप को मानना।
- 4.15.10 तालिका 49 के अनुसार एएआई के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से पूर्व) के लिए वैमानिक कर के टू-अप को मानना।
- 4.15.11 तालिका 51 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से पूर्व) के लिए एएआई के टू-अप के लिए 7.55 करोड़ रूपए (31 मार्च, 2022 को) की कम वसूली को मानना और इसे तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर में पुनः समायोजित करना।

अध्याय 5: वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31 मार्च, 2021 तक की द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए हवाईअड्डा प्रचालक का टू-अप।

- 5.12.1 तालिका 58 के अनुसार एआईएल के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के पश्चात) के लिए आरएबी के टू-अप को मानना।
- 5.12.2 तालिका 61 के अनुसार एआईएल के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के पश्चात) के लिए मूल्यहास के टू-अप को मानना।
- 5.12.3 तालिका 63 के अनुसार एआईएल के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के पश्चात) के लिए एफआरओआर के टू-अप को मानना।
- 5.12.4 तालिका 67 के अनुसार एआईएल के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के पश्चात) के लिए वैमानिक प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च के टू-अप को मानना।
- 5.12.5 तालिका 71 के अनुसार एआईएल के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के पश्चात) के लिए गैर-वैमानिक राजस्व के टू-अप को मानना।
- 5.12.6 तालिका 73 के अनुसार एआईएल के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के पश्चात) के लिए वैमानिक राजस्व के टू-अप को मानना।
- 5.12.7 पैरा 5.10.4 में दिए गए विवरण के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के पश्चात) के लिए वैमानिक कर के टू-अप को मानना।
- 5.12.8 तालिका 75 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि (वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के पश्चात) के लिए 31 मार्च, 2022 को हवाईअड्डा प्रचालक के टू-अप के लिए 46.58 करोड़ रूपए की कम वसूली को मानना और इसे तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर में पुनः समायोजित करना।

अध्याय 6: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए यातायात

- 6.6.1 तालिका 86 के अनुसार एसवीपीआईए के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए एटीएम, यात्री यातायात और कार्गो यातायात को मानना।
- 6.6.2 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय तृतीय नियंत्रण अवधि के वास्तविक यातायात के आधार पर यातायात की मात्रा (एटीएम, यात्री और कार्गो) को टू-अप करना।

अध्याय 7: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत व्यय, मूल्यहास और विनियामक परिसंपत्ति आधार (आरएबी)

- 7.13.1 पैरा संख्या 7.12.2 में उल्लेख किए अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टर्मिनल क्षेत्र के 90:10 (वैमानिक : गैर-वैमानिक) के अनुपात को मानना।
- 7.13.2 पैरा 7.12.10 में उल्लेख किए अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि में केवल आईडीसी की अनुमति देना और वित्तीयन भत्ते की अनुमति न देना तथा आईडीसी को टू-अप करना।
- 7.13.3 तालिका 175 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक पूंजीगत व्यय के पूंजीकरण को मानना।
- 7.13.4 तालिका 175 के अनुसार यदि कोई विशिष्ट पूंजीगत परियोजना अनुमोदित समय-सारणी के अनुसार पूर्ण/ पूंजीकृत नहीं होती है तो एआरआर से परियोजना की पूंजीकृत न की गई लागत की 1 % राशि घटाना (समायोजित करना)। तृतीय नियंत्रण अवधि के टूअप के दौरान, चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय उसकी जांच की जाएगी।
- 7.13.5 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों, लागत कार्यक्षमता और औचित्य के आधार पर वैमानिक पूंजीगत व्यय को टू-अप करना।
- 7.13.6 तालिका 176 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक मूल्यहास को मानना।
- 7.13.7 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के दौरान परिसंपत्तियों के वास्तविक परिवर्धनों और पूंजीकरण की वास्तविक तारीख के आधार पर तृतीय नियंत्रण अवधि के मूल्यहास को टू-अप करना।
- 7.13.8 तालिका 177 के अनुसार एआईएल के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए औसत आरएबी को मानना।
- 7.13.9 केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अध्याय V के अनुसार निवेश कर जमा राशियों के लेखांकन की जांच करना और पैरा 7.12.11 में स्पष्ट किए अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय जीएसटी के लिए आवश्यक समायोजन करना।
- 7.13.10 परिसंपत्ति आवंटन के साथ-साथ वहन किए गए पूंजीगत व्यय की कार्यक्षमता और औचित्य का आकलन करने के लिए एक स्वतंत्र अध्ययन शुरू करना और चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करना।
- 7.13.11 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर आरएबी को टू-अप करना।

अध्याय 8 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रतिलाभ की उचित दर

- 8.6.1 सीएपीएम सूत्र के अनुसार 15.18 % ईक्विटी की लागत को मानना।
- 8.6.2 सार्वजनिक निजी भागीदारी वाले अन्य हवाईअड्डों के मामलों में माने जा रहे लक्षित लाभ प्राप्त करने के अनुपात के अनुरूप 48%:52% के कल्पित ऋण ईक्विटी (लाभ प्राप्त करने के) अनुपात को मानना।
- 8.6.3 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए 9% की ऋण की लागत को मानना।
- 8.6.4 ऊपर उल्लिखित ईक्विटी की लागत, ऋण की लागत और लाभ प्राप्त करने के अनुपात के आधार पर तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए 12.21% की प्रतिलाभ की उचित दर (एफआरओआर) को मानना।

अध्याय 9 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति

- 9.6.1 तालिका 185 के अनुसार एआईएल के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति को मानना।

अध्याय 10 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च

- 10.6.1 तालिका 223 के अनुसार एआईएल के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।
- 10.6.2 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय औचित्य एवं कार्यक्षमता की शर्त पर तृतीय नियंत्रण अवधि के दौरान हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा वहन किए गए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

अध्याय 11 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व

- 11.6.1 तालिका 232 के अनुसार एआईएल के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।
- 11.6.2 हवाईअड्डा प्रचालक को अन्य समान प्रकार के हवाईअड्डों के अनुरूप एसवीपीआईए के एनएआर में पर्याप्त वृद्धि के लिए प्रयास करने चाहिए।

अध्याय 12: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए कराधान

- 12.6.1 तालिका 235 के अनुसार एआईएल के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए कर को मानना।
- 12.6.2 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय सभी संगत तथ्यों को उपयुक्त रूप से ध्यान में रखकर वैमानिक कर की राशि को टू-अप करना।

अध्याय 13: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए सेवा की गुणवत्ता

- 13.6.1 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के लिए एआईएल की सेवा की गुणवत्ता के संबंध में किसी भी समायोजन को नहीं मानना।
- 13.6.2 हवाईअड्डा प्रचालक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एसवीपीआईए पर सेवा की गुणवत्ता तृतीय नियंत्रण अवधि के रियायत करार में इंगित किए गए निष्पादन मानकों के अनुरूप है।

अध्याय 14 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर)

- 14.6.1 तालिका 239 के अनुसार एआईएल के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर और वाईपीपी को मानना और इसे चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय टूअप करना।
- 14.6.2 तालिका 240 के अनुसार एआईएल के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए अनुमानित वैमानिक राजस्व और कम वसूली को मानना।
- 14.6.3 इस टैरिफ आदेश के संलग्नक I बी में बताए अनुसार 1 फरवरी, 2023 से प्रभावी वीटीपी को मानना।
- 14.6.4 एआईएल को यह निदेश देना कि वह हितधारकों और ऐरा की सूचना के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के दौरान वीटीपी के तहत अर्जित लैंडिंग प्रभार, वहन किए गए व्यय और प्रदान किए गए प्रोत्साहनों का अलग रिकॉर्ड रखे, ताकि अगली नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के लिए सुविचारित निर्णय लिया जा सके। प्राधिकरण एआईएल को यह सुनिश्चित करने के लिए निदेश देता है कि इकाओं के भेदभाव न करने संबंधी सिद्धांतों का अनुपालन हो।
- 14.6.5 एआईएल को यह निदेश देना कि वह ऐरा सीजीएफ दिशा-निर्देशों के अनुसार अपनी कार्गो हैंडलिंग और ईंधन सेवाओं के लिए अलग लेखों का रख-रखाव करें और प्रत्येक लेखांकन वर्ष (31 मार्च को समाप्त) के लिए वार्षिक अनुपालन विवरण (एसीएस) प्रस्तुत करें।
- 14.6.6 एआईएल के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए संलग्नक -I के अनुसार टैरिफ दर कार्ड को मानना।

अध्याय -17 आदेश

- 17.1.1 ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपर्युक्त निर्णयों के आधार पर प्राधिकरण एतद्वारा आदेश के संलग्नक-1 (1ए, 1बी, 1-सी) में दर्शाए अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि (01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2026) के लिए सरदार वल्लभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (एसवीपीआईए), अहमदाबाद में लगाई जाने वाली वैमानिक टैरिफ निर्धारित करता है।
- 17.2.2 वायुयान नियम, 1937 के नियम, 89 के साथ पठित ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13 (1) (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण एतद्वारा वर्तमान नियंत्रण अवधि के लिए आदेश के संलग्नक 1 के दर कार्ड में इंगित किए अनुसार यूडीएफ की दर निर्धारित करता है।
- 17.2.3 यह टैरिफ आदेश 1 फरवरी, 2023 से प्रभावी किया जाएगा।
- 17.1.4 इसमें निर्धारित टैरिफ उच्चतम दरें हैं और इनमें कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।
- 17.1.5 एआईएल प्राधिकरण के विनियामक दिशा-निर्देश, 2011 के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए अपना एमवाईटीपी प्राधिकरण को ठीक समय पर प्रस्तुत करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(कर्नल मनु सूदन)

सचिव, ऐरा

सेवामें,

श्री अरुण बंसल,
सीईओ-अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड,
अदानी कॉरपोरेट हाऊस
शांतिग्राम, एस.जी. हाइवे,
अहमदाबाद – 382421
गुजरात- भारत

प्रतिलिपि,

1. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली – 110 003
2. नागर विमानन महानिदेशालय :एआईसी जारी करने के लिए
3. अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण



